सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट- दिनांक 11/06/2024

व्यक्ति को गोली मारकर पशु लूटकर ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिय गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 11.06.24 को थाना सैफई पुलिस टीम मु0अ0सं0 115/24 से संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय हैवरा के पास 01 व्यक्ति घायल अवस्था में पडा है जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सैफई पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि मु0अ0सं0 115/2024 में वांछित अभियुक्त है जिसे पुलिस टीम द्वारा उपचार हेतु पीजीआई सैफई भिजवाया गया तदोपरान्त **अभियुक्त फरीद पुत्र पप्पू को पीजीआई गेट से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त कडाई से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 09.10/06/24 की रात्रि को ग्राम बटौआ से भैस लूटकर लोडर मे लादकर ले गये थे जिसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया साथ ही दिनांक 17.05.2024 को ग्राम बनामई थाना वैदपुरा इटावा से 01 भैस चोरी तथा थाना बलरई से भी 01 भैंस चोरी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. फरीद पुत्र पप्पू निवासी ग्राम नदरई थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज उम्र 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 115/24 धारा 394/307/336/420/465/34/411 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

फरीद पुत्र पप्पू

1. मु0अ0सं0 36/2024 धारा 379 भादवि थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 31/2024 धारा 379 भादवि थाना बलरई जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 115/24 धारा 394/307/336 भादवि मे धारा 420/465/34/411 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीम –निरी0 श्री बलराम मिश्रा प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 नितिन कुमार चौधरी, हे0का0 सत्यनारायण, का0 परविन्द कुमार, का0 अनुराग कुमार।